न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 63/2024

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
श्री किशनसिंह राठौड़ पुत्र श्री सादुलसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम धारवीखुर्द तहसील शिव जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ललित कुमार, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 18.09.2024 को श्री अनिल कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर, श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, एवं श्री भारूराम, नायब तहसीलदार शिव के साथ मौतबिरान के रुबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स किशनसिंह, भीयाड़ के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान में सैल्समेन अप्रार्थी श्री किशन सिंह उपस्थित मिला। उक्त दुकान में घरेलु गैस सिलेण्डर रखना व ग्राहको को अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर विक्रय [illegible] जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो 40 घरेलु गैस [illegible] उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त [illegible] (बीपीसीएल, आई[illegible], एचपीसीएल गो) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

जिला कलक्टर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	091975S	HPCL	29.800 Kg	15.600 Kg	14.200 Kg
2.	627567 Kg	**HPCL**	29.800 Kg	15.600 Kg	14.200 Kg
3.	256830H	**HPCL**	29.800 Kg	15.600 Kg	14.200 Kg
4.	204524S	**HPCL**	30.100 Kg	15.900 Kg	14.200 Kg
5.	839843S	**IOCL**	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
6.	5531368	**IOCL**	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
7.	243027E	**IOCL**	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
8.	014493R	**IOCL**	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg
9.	994107S	**IOCL**	16.000 Kg	16.000 Kg	0.000 Kg
10.	272729E	**IOCL**	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
11.	6897407P	**IOCL**	15.900 Kg	15.900 Kg	0.000 Kg
12.	72153P	**IOCL**	15.400 Kg	15.400 Kg	0.000 Kg
13.	796960S	**IOCL**	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
14.	277545S	**IOCL**	15.200 Kg	15.200 Kg	0.000 Kg
15.	891814T	**IOCL**	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg
16.	767723T	**IOCL**	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg
17.	37781E	**IOCL**	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg
18.	622198P	**IOCL**	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
19.	741077T	**IOCL**	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg
20.	691596J	**IOCL**	15.50[illegible]	[illegible]5.500 Kg	0.000 Kg
21.	824450P	**IOCL**	15.600 K[illegible]	[illegible]5.600 Kg	0.000 Kg
22.	223042T	**IOCL**	15.900 K[illegible]	15.900 Kg	0.000 Kg
23.	601355S	**HPCL**	15.500 Kg	15.500 Kg	0.000 Kg

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर

24.	053826T	**HPCL**	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg
25.	197245E	**HPCL**	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
26.	685573S	**HPCL**	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
27.	392472S	**HPCL**	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg
28.	351511S	**HPCL**	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
29.	199231P	**HPCL**	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
30.	075777S	**HPCL**	15.900 Kg	15.900 Kg	0.000 Kg
31.	598606E	**HPCL**	16.200 Kg	16.200 Kg	0.000 Kg
32.	287087T	**HPCL**	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
33.	683206S	**BPCL**	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
34.	119523S	**HPCL**	8.900 Kg	8.900 Kg	0.000 Kg
35.	170512T	**HPCL**	8.400 Kg	8.400 Kg	0.000 Kg
36.	126644S	**HPCL**	8.400 Kg	8.400 Kg	0.000 Kg
37.	6891S	**GO GAS**	15.400 Kg	15.400 Kg	0.000 Kg
38.	-	-	3.000 Kg	3.000 Kg	0.000 Kg
39.	-	-	3.000 Kg	3.000 Kg	0.000 Kg
40.	-	-	3.000 Kg	3.000 Kg	0.000 Kg

मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु उपयोग के चालीस गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स भाटिया ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवि[illegible]लियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2[illegible] 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, [illegible]55 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर

अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब में प्रकट किया कि किशनसिंह मैसर्स एस.एस. राठौड़ इण्डेन ग्रामीण वितरण गैस एजेन्सी में सप्लायर के पद पर कार्यरत है जिसके द्वारा उक्त एजेन्सी के सिलेण्डरों को गोदाम से प्राप्त कर विधिवत रूप से ग्राहको में सुरक्षित रूप से वितरित किया जाता है। प्राप्त सिलेण्डर के बाद मे अलग–अलग स्थानों पर ग्राहकों के निवास स्थान पर वितरित किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 17.09.2024 को वितरण के लिए कुल 60 सिलेण्डर मैसर्स एस.एस. राठोड़ गैस एजेन्सी से विधिवत रूप से प्राप्त किये गये थे। जिसमें 42 सिलेण्डरों की डिलीवरी हो गयी थी तथा शेष 18 सिलेण्डर दिन अवसान के कारण डिलीवरी न होने के कारण उचित एवं संरक्षित स्थान पर रखे गये थे जिसे दिनांक 18.09.2024 को ग्राहको को वितरित किया जाना था। परन्तु उसी दिन विभागीय अधिकारीयों द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई तथा विप्रार्थी द्वारा अधिकारीयों को वक्त अवैध जब्ती अपने सप्लायर होने के प्राधिकार पत्र एवं साथ ही गोदाम से प्राप्त रसीद संख्या 410 उपलब्ध करवायी गयी। जिसमें स्पष्ट रूप से 60 गैस टंकिया प्राप्त करना 42 खाली गैस सिलेण्डर गोदाम में जमा करना उल्लेखित है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट [illegible] कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का [illegible] लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स भाटिया ग्रामीण वितरक को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना –पत्र के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट में जांच स्थल पर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर व ग्राहको का अवैध रूप से विक्रय पाया गया था। जब मौके पर सप्लायर होने का प्राधिकार पत्र एवं गोदाम से प्राप्त रसीद संख्या 410 पाई गई थी तो फिर उक्त घरेलू सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग किस प्रकार किया जा रहा था ? स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना साबित नहीं होता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रकरण में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होना प्रकट किया हैं जबकि इस आशय का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित होने एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के अभाव में सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें।

5. आदेश आज दिनांक [illegible] न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर